क्रमांक एवं आदेश की तिथि १	अपर उपायुक्त का न्यायालय, साहेबगंज आर०एम०पी० वाद - 10/2018-19 चरण मरान्डी - अपीलार्थी -बनाम- देवला वाहामूनी मरान्डी - उत्तरवादी २	आदेश पर की गई कार्यवाही के बारे में टिप्पणी तारीख सहित ३

16-08-23

अभिलेख उपस्थापित।

प्रस्तुत वाद, अपीलार्थी द्वारा मौजा बोड़बांध, थाना नं0 – 11 ,जमाबंदी नं0 – 65 कुल रकवा – 37 बीघा 03 कट्ठा 08 धूर जमीन में अनुमंडल पदाधिकारी, साहेबगंज द्वारा RE वाद सं0 – 12/2015–16 दिनांक – 31.08.2016 को पारित आदेश के विरूद्व उपायुक्त न्यायालय साहेबगंज में अपील दायर किया गया। विभिन्न तिथियों पर सुनवाई के उपरांत उपायुक्त न्यायालय से वाद को सुनवाई के उपरांत उपायुक्त न्यायालय से वाद को सुनवाई हेतु दिनांक – 10.07.2018 को अपर उपायुक्त के न्यायालय में अंतरित किया गया।

– वाद को पंजीकृत करते हुए उभय पक्ष को सुनवाई हेतु नोटिस निर्गत किया गया।

– वाद की विषयांकित भूमि खतियान स्लीप के अनुसार रामू मरान्डी वो शाहिबा मरान्डी वल्द तीलगा कान्हू मरान्डी के नाम दर्ज है।

– अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता द्वारा कोई Note of Arguement समर्पित नहीं किया गया है।

अपीलार्थी के पक्ष में ग्राम प्रधान एवं सोलह आना रैयत द्वारा 15.02.2013 को तैयार पंचनामा की प्रति संलग्न किया है। जिससे अपीलार्थी को खतियानी रैयत के वंशज से होने का दावा किया गया गया है।

उत्तरवादी के विज्ञ अधिवक्ता द्वारा Note of Arguement के साथ अंचल अधिकारी ,बरहेट द्वारा निर्गत् वंशावली प्रमाण पत्र भी संलग्न किया गया है। जो इस प्रकार का है।

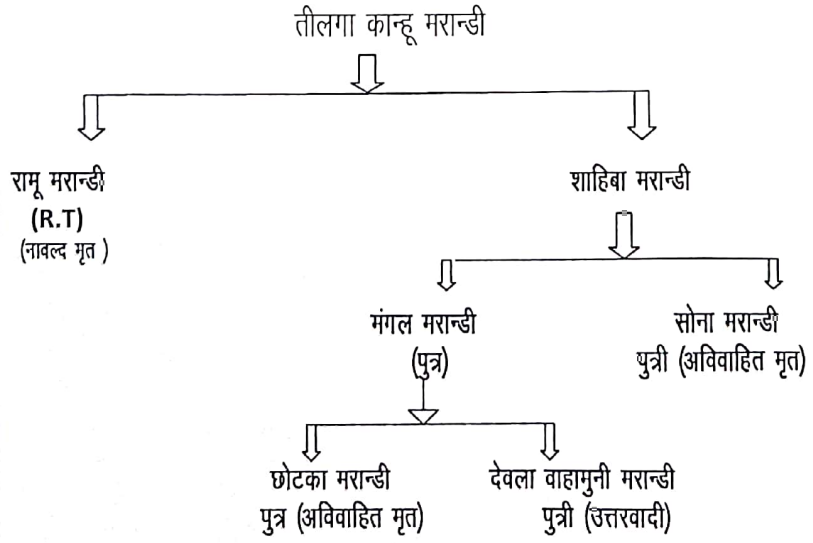

Scanned with OKEN Scanner

अनुमंडल पदाधिकारी, साहेबगंज द्वारा RE वाद सं0 – 12/2015–16 में खतियानी रैयत के संबंध में अंचल अधिकारी ,बरहेट द्वारा निर्गत वंशावली के आधार पर उत्तरवादी के दावे को संम्पुष्ट किया है। दिनांक – 07.06.2010 को संथाली परम्परा के अनुसार देवला वाहामूनी मरान्डी के पति – जयकान्त मूर्मू , ग्राम – बड़गामा , पो0 – बरमसिया , थाना – पथरगामा , जिला गोड्डा को धर जमाई बनाया गया है। जिसकी प्रति भी अभिलेख में संलग्न है।

उभय पक्षों के विज्ञ अधिवक्ता का बयान एवं समर्पित् दस्तावेज, अनुमंडल पदाधिकारी, साहेबगंज निर्गत आदेश की प्रति का अवलोकन से स्पष्ट है कि खतियानी रैयत की एक मात्र वारिस उत्तरवादी है। वंशावली में कोई पुत्र जिवीत नहीं है। उत्तरवादी की धर जमाई संबंधित भी प्रमाण संलग्न है। वंशावली में कोई पुत्र जीवित नहीं होने के की स्थिति में एक मात्र वारिस उत्तरवादी ही है।

अतएव अनुमंडल पदाधिकारी, साहेबगंज द्वारा निर्गत् आदेश धर जमाई का पत्र , अंचल अधिकारी द्वारा निर्गत् वंशावली के आलोक में वाद में अंकित भूमि पर उत्तरवादी के दावे को संत्पुष्ट करते हुए वाद की कार्यवाई को समाप्त की जाती है

आदेश की प्रति उभयपक्ष को भेजें।

लेखापित एवं संशोधित।

16/08/23
अपर उपायुक्त,
साहेबगंज।

16/8/23
अपर उपायुक्त,
साहेबगंज।

Digitally signed by BINAY KUMAR MISHRA
Date: 2023.10.04 15:35:07 +05:30
Location: 192.168.0.114

Scanned with OKEN Scanner